*383. [The questioner (Shri Dharam Pal Sabharwal) was absent. For answer *vide* page. 28]

गुजरात में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत तालाबों का निर्माण

*348. **डॉ. मुरली मनोहर जोशी :†**

श्री राज मोहिन्दर सिंह मजीठा:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से 200 घनमीटर के तालाब किसानों की निगरानी में बनाकर 2.54 करोड़ घनमीटर जल भंडारण की अतिरिक्त क्षमता पैदा की गई हैं :

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है :

(ग) क्या यह भी सच है कि इस योजना के माध्यम से स्थानीय किसानों की जेल समस्या का एक सीमा तक समाधान भी हुआ है : और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या सरकार इस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने का विचार रखती है ?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) गुजरात में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अलग-अलग किसानों के खेतों में 200 घन मीटर के तालाब (खेत तलवाड़ी) बनाए गए हैं। इनमें प्रत्येक की जल भंडारण क्षमता 200 घन मीटर है।

क्र.सं.	जिले का नाम	बनाई गई खेत तलवाड़ी की सं.	सृजित जल भडारण क्षमता घन मीटर में
1	बनासकांठा	31	6146
2.	साबरकांठा	0	0
3.	डांग	0	0
4.	नर्मदा	92	11.484.45
5.	दाहोद	0	0
6.	पंचमहल	5	550.49
	कुल :	128	18180.94

(ग) और (घ) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजातियों के परिवारों अथवा भूमि सुधार के लाभार्थियों अथवा इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों की भूमि के लिए सिंचाई सुविधा

† सभा में यह प्रश्न डा. मुरली मनोहर जोशी द्वारा पूछा गया।

उपलब्ध कराने से संबधित कार्य राष्ट्रीम ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की अनुसूची -1 के तहत अनुमेय क्रियाकलाप है तथा इन कार्यो का देश के किसी भी हिस्से, जहा इस अधिनियम को लागू किया गया है, मैं शुरू किया जा सकता है ।

Construction of ponds under NREG Scheme in Gujarat

†*384. DR. MURLI MANOHAR JOSHI:††
SHRI RAJ MOHINDER SINGH MAJITHA:

Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 200 cubic meter ponds were made in ujarat through National Rural Employment Guarantee Scheme under onitoring of farmers which created an extra capacity of 2.54 crore cubic eter water storage;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether it is also a fact that due to this scheme the water problem sing faced by the farmers has been addressed upto some extent; and

(d) if so, the reaction of Government thereto and whether Govemment opose to contemplate to implement this model at national level?

THE MINISTER' OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI AGHUVANSH PRASAD SINGH): (a) to (d) A Statement is laid on the able of the House.

Statement

(a) and (b) In Gujarat 200 cubic meters ponds (Khet Talavadi) in e farms of individual farmers belonging to SC/ST have made under ational Rural Employment Guarantee Act which creates 200 cmt. Water orage capacity each as per details below:—

SI. No.	Name of District	No.of Khet Talawadi made	Water storage capacity created in cubic meter
1	Banaskantha	31	6146
2	Sabarkantha	0	0
3	Dang	0	0
4	Narmada	92	11484.45
5	Dahod	0	0
6	Panchmahal	5	550.49
	TOTAL:	128	18180.94

† Original notice of the question was received in Hindi.

†† The question was actually asked on the floor of the House by Dr. Murli Manohar Joshi.

(c) and (d) Works relating to providing irrigation facility to land owned by households belonging to SCs and STs or to land of beneficiaries of land reforms or that of the beneficiaries under Indira Awas Yojana is a permissible activity under Schedule I of NREG Act and can be taken up in any part of the country where the Act has been implemented.

डा. मुरली मनोहर जोशी : श्रीमन् यह प्रश्न जो मैनें किया था, उसके संदर्भ मे जो उत्तर मिला है, वह तो अपने आपमें अलग ही चीज है, शायद सरकार को, गुजरात मॉडल को जो अच्छे से अच्छा काम किया है, उसको मानने में या उसका प्रचार-प्रसार करने में कुछ संकोच है, यह उनकी अपनी बात है । लेकिन मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि इंटरनेशनल वॉटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट आफॅ साउथ एशिया के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार ने यह कहा है कि भारत एक बहुत ही एक्यूट और मेजर वाटर क्राइसिज में हैं, गंभीर जल संकट से गुजर रहा है और इसका जो परिणाम है, मात्रा है, वह इस हद तक है कि भारत में जो ग्राउंड वाटर से, भूतल से नीचे के जल की उपलब्धि है,वह 1967 में जहां 6000 क्यूबिक मीटर थी, वह अब घटकर 1900 क्यूबिक मीटर यह रह गयी है ? क्या यह बात सच है, जो वे कह रहे हैं ? दूसरा, यह 1997 में आयी थी, आज की क्या स्थिति है ? क्या यह मात्रा 1900 क्युबिक मीटर से घटी है या बढ़ी है ? इसके अतिरिक्त क्या जो कुछ उपलब्धता है, वह आज की भारत की घरेलु और कृषि से संबधित आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त है ? यदि नहीं तो इस संबध में क्या कर रहे हैं ?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, माननीय सदस्य डा. जोशी जी की चिंता जायज है । वाटर की कमी दूनिया के स्तर पर होने वाली है, यह लोग बता रहे है । अभी भी कमी है । हमारे देश में भी पानी की कमी है, कुछ खास एरियाज में भी पानी की कमी है । जो पहले वर्षा होती थी, उसका 38 फीसदी पानी जमीन में जाता था । अब 13 प्रतिशत जा रहा है, बाकी कम हो गया है । इसीलिए जो इम्प्लॉयमेंट गांरटी प्रोग्राम बना, उसमें टॉप प्रायोरिटी वाटर कजंर्वेशन, वाटरशेड मैनेजमेंट और वाटर मैनेजमेंट को दी गयी है । उसके लिए पानी के संचयन की जरूरत है और देश स्तर पर उसके लिए चेतना लाने की जरूरत है कि वाटर कंजर्वेशन को टॉप प्रोयोरिटी देकर, जो वर्षा का पानी है, उस पानी को जमा किया जा सके । जैसे पुराने जमाने में लोग कहते थे, एक मुहावरा था कि "पैसा पानी की तरह बहा दिया" । अब समय आ गया है कि पैसे की तरह पानी को रोकने का, जमा करने का काम किया जाए । जैसे बैकों में पैसें जमा करने की व्यवस्था है, वैसे ही जो पुरानी वाटर बॉडीज है या अंडग्राउंड वाटर जमा किया जा सके, उसकी जरूरत है । इसलिए माननीय सदस्य की चिंता से हम सहमत है,सरकार सहमत है और उस तरफ हम काम कर रहें हैं ताकि आने वाले दिनोंमें हम पानी की कमी का मुकाबला कर सकें और पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके । महोदय, प्रकृति में हमें जो तीन हिस्से पानी दिया है ...

श्री सभापति : ध्यान रखना,जो आजकल पानी का मुकाबला कर रहे हैं, वे बह भी जाते हैं।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, तीन हिस्से पृथ्वी में पानी है, एक ही हिस्से में जमीन है । उसमें 97 फीसदी पानी खारा है, केवल तीन फीसदी मीठा पानी है । उसमें दो फिसदी बर्फ में और नदी-नालों में हैं, एक फीसदी जमीन के अंदर है । जमीन के अंदर का पानी भी घट रहा है, उस कमी की आपूर्ति water recharge, rain water harvasting, यह सब जो वैज्ञानिकों ने सलाह दी है, उस तरफ हम प्रयत्न कर रहे हैं । वैसे तो महोदय, अभी तो अजीब समय आ गया है । लाइन लग गई थी समुद्र का पानी पीने के लिए और गणेश की मूर्ति ने पहले भी दूध पिया था, और अभी फिर मूर्तियों से दूध पिलवानें लगे । इससे भी हमें बचना पडेगा । अंधविश्वास से बचना पडेगा और वैज्ञानिकों की राय के अनुकूल काम करना पड़ेगा।

कुछ माननीय सदस्य : बहुत बढिया ।

डा. मुरली मनोहर जोशी : बहुत प्रसन्नता की बात है , लेकिन आपने जो कुछ कहा है, उसमें से तत्व कुछ नहीं निकला । पानी निकला ही नहीं उसमें से । अभी सरकार बार-बार कह रही है कि हमे दस प्रतिशत विकास दर प्राप्त करनी है, लेकिन कृषि में जब तक चार या पांच प्रतिशत ग्रोथ नहीं होगी, तब तक यह प्राप्ति नहीं हो सकती । तो क्या सरकार यह जानती है कि अस्सी प्रतिशत घरेलु और सत्तर प्रतिशत कृषि का काम, जो पानी से होता है, वह भूतल के नीचे वाले पानी से होता है और उसकी अब यह स्थिति हो गयी है जिनको आप over exploiited blocks कहते हैं या dark blocks कहते हैं,उनकी संख्या जो 253 थी, वह आज बढ़कर 1065 हो गई है और यह कहा जा रहा है अगर रफ्तार रही, तो सन् 2018 में भारत में आपको पानी शायद बाहर से इम्पोर्ट ही करना पड़ेगा ।यहां वह उपलब्ध नहीं होगा और जमीन के नीचे तो वह मिलेगा ही नहीं । तो आप इसके लिए क्या उपाय कर रहे हैं और इसीजिए, जो गुजरात सरकार का मॉडल है, क्या आप उसे लगाएंगे या नहीं लगांएगे ?

श्री रघुवंश प्रसाद सिहं : महोदय, माननीय सदस्य की चिंता से हम सहमत है, देश सहमत है ...(**व्यवधान**)...

डा. मुरली मनोहर जोशी : लेकिन गुजरात का मॉडल नहीं लगांएगे ? गुजरात से आप सहमत है, लेकिन गुजरात का मॉडल नहीं लगाएंगे ?

श्री रघुवंश प्रसाद सिहं : आप गुजरात मॉडल कह रहे हैं, तो गुजरात मॉडल ...(**व्यवधान**)...जो हमने उन्हें अनाज दिया SGRY में, उन्होनें उसका अच्छा इस्तेमाल जरूर किया । खेत-तलाऊ उन्होनें बनाया ही था कि मैं कह रहा था कि जो अनुसचित जाति, जनजाति और लैंड रिफार्म्स के benrficiaries हैं, उन्हीं की जमीन में यह काम होना चाहिए, लेकिन इन्होनें सबकी जमीन में करा दिया । फिर भी हमने इनको रोका नहीं । ...(**व्यवधान**)...

श्री कलराज मिश्र : आपने तो गुजरात सरकार की तारीफ की है इस संबध में ।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, इसलिए हमने अतिरिक्त अनाज दिया, उसी का इन्होनें इस्तेमाल किया और खेत तलाऊ बनाए । तो देश भर मे राज्य सरकारें, उसी तरह कोई आगे,कोई पीछे काम कर रही है । गुजरात सरकार ने अच्छा काम किया है, हम उनसे सहमत है । थोड़ा ...(**व्यवधान**)... अनुसूचित जाति, जनजाति का इन्होनें ख्याल नहीं किया।

श्री राज मोहिन्दर सिंह मजीठाः सर, मैं आपके माध्यम से मिनिस्टर साहब से information चाहूंगा कि देश में पानी की कमी बढ़ती जा रही है । 1960 मेंप्रति व्यक्ति जल की प्राप्ती 6000 क्यूबिक मीटर थी, जो 1997 में घटकर 1900 क्यूबिक मीटर हो गई । मेन कारण है कि देश में पानी इकट्ठा करने की कैपेसिटी बहुत कम है । अमेरिका में 1964 क्यूबिक मीटर जल स्टोरेज कैपेसिटी है, जबकि भारत में यह कुल 207 क्यूबिक मीटर है । देश में जल समस्या को हल करना है, तो देश की जल स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगी । मेरा क्वेश्वचन यह है कि क्या सरकार वॉटर मैनेजमेंट में देश के विकास की आधारभूत सुविधाओं को नए बजट में जोड़ेगी और नए स्तर पर योजना बनाकर, देश के हर गावं में सुविधा देगी और गुजरात में खास करके हर गांव में जिसमे चार पाच ponds हों, क्या सरकार नेशनल लेवल पर इसको हल कर सकेंगी ?

श्री सभापति : ठीक हैं, ठीक हैं । ...(**व्यवधान**)...

श्री राज मोहिन्दर सिंह मजीठा : सर, मेरा एक प्रश्न है और है, यह नेशनल प्रॉब्लम है और महोदय, पंजाब के हर गांव में, हम जिसे छप्पड बोलते हैं , हर गांव में छप्पड़ हुआ करते थे । अब वे गायब हो गए है और मैं इनसे एक बात कहना चाहता हूं कि छप्पड़ की जो जमीन थी ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : क्वेश्चन कीजिए, टाइम की कमी है ।

श्री राज मोहिन्दर सिहं मजीठा : सर, जो छप्पड़ की जमीन थी पंजाब में, वह पंचायत की और जामलात की थी । उस पर लोगों ने एनक्रोचमेंट कर लिया है, उसको भी रोका जाए, यह भी मैं इनसे कहना चाहता हूं ।

श्री सभापति : ठीक है । मंत्री जी, छोटा ही जवाब दीजिएगा । आप छोटा ही जवाब दीजिए ।

श्री रघुवंश प्रसाद सिहं : जी, सभापति महोदय, महोदय, एम्पलॉमेंट गारंटी में इतनी टॉप प्रियॉरिटी और जो हमारी प्रगति है, उसमें 1,40,789 वाटर कंजर्वेशन का काम शुरू हो गया है, जिसमें 29,392 का पूरा हो गया है और 1,11,397 का काम चल रहा है ।हम दो-तीन वर्षो में देखेंगे कि एम्पॉलाइमेंट का इतना अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि जो अभी पानी की कमी होने के बारे में भय और आशंका है, तो पानी की कमी नहीं रहेगी ।उसमें वाटर हार्वेस्टिंग रिचार्ज, वाटर कजंर्वेशन और वाटर सेव मैनेजमेंट वगैरह सभी है । माननीय प्रधान मंत्री जी ने 15 अगस्त को जो रेन फेड एरिया अथारिटी

की घोषणा की थी, उसका भी गठन हो गया है । इसलिए सरकार का पूरा जोर है कि आगे आने वाले समय में पानी की कमी हो, इसलिए वाटर कजंर्वेशन, वाटर सेव मैनजमेंट को टॉप प्रियारिटी दी जा रही है । ओर इस दिशा में शुरूआत हो गई है । इसमें राज्यों का भी बड़ा भारी सहयोग है और पंचायती राज का भी सहयोग है, इसलिए हम माननीय सदन से भी अपेक्षा करते हैं कि माननीय सदस्य सही सवाल उठा रहे है,हमे पानी की चिंता है और हम लोग पानी की लड़ाई लड़ रहे हैं । हम लोग पानी के मामले में पीछे नहीं रहेगें और आगे इसकी कमी नहीं होने दी जाएगी ।

SHRI V. NARAYANASAMY: Mr. Chairman, Sir, the National Rural Employment Guarantee Programme is part of the policy of the UPA Govemment to provide employment opportunities to the rural people, especially, the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the downtrodden. The implementing agency is the State Government. Ninety per cent of the Fund is provided by the Central Government. Sir, I went to some States, and found that for publicity alone, displaying the Chief Minister's photo and on other advertisements they are spending 15 per cent of the money given by the Central Government. Enrolling people and giving them job cards ...*(Interruptions)*...

SHRI N. JOTHI: It is there in Tamil Nadu ...*(Interruptions)*...

SHRI V. NARAYANASAMY: Kindly sit down. ...*(Interruptions)*... It is a very important question. ...*(Interrupations)*...

श्री सभापति : हो गया, हो गया । **...(व्यवधान)...** ठीक है, ठीक है । Please take your seat ...*(Interruptions)*... आप बोलिए, बोलिए ।

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, in the State of Madhya Pradesh, for giving job cards, even the names of Joint Secretaries and their family members have been included there. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: आप क्वेश्चन पर आइए ।..*(Interruptions)*... Please come to the question ..*(Interruptions)*... क्वेश्चन पर आइए ।

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, the minimum wage has been fixed at Rs. 80 ...*(Interruptions)*...

श्री रूद्रनारायण पाणि : *

श्री सभापति : बैठिए, आप बैठिए । **...(व्यवधान)...** कोई रिकॉर्ड पर नहीं जा रहा है, मेरी बिना अनुमति के बोल रहे हैं ।

---

*No recorded.

SHRI V. NARAYANASAMY: But in a particular State, that is, Madhya Pradesh, they are giving Rs. 25-30 to the tribal people who are working there ...*{Interruptions)*...

श्री सभापति : आप बैठ जाइए, यह ठीक नहीं है ।

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, finally, the job card is to be given to only one member in one family, but, four members of a family are being given this card. This is a big scandal. I want the hon. Minister to look into this. You are giving 90 per cent of the money. But that should be given to only the deserving people and not to Joint Secretaries and their family members. It should go to the tribal people, the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the downtrodden people. What are you doing? ...*{Interrupations)*...

श्री सभापति : बस, बस हो गया । ...(**व्यवधान**)...आप बैठे जाइए । ...(**व्यवधान**)...

श्री राज मोहिन्दर सिंह मजीठा : चेयरमैन साहब, मेरे प्रश्न का तो जवाब ही नहीं आया है । ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : जैसा आपका प्रश्न था, वैसा जवाब मिल गया है । ...(**व्यवधान**)...

श्री राज मोहिन्दर सिहं मजीठा : सर, पूरा जवाब देना चाहिए । ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : ठीक है ।मंत्री जी आप छोटा जवाब दीजिए ।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : उन्होनें तो बहुत बोल दिया । ...(**व्यवधान**)...

श्रीसभापति : बहुत बोल दिया तो क्या है ? ...(**व्यवधान**)... आप बैठ जाइए, ऐसे नहीं होगा ।

श्री रघुवंश प्रसाद सिहं : महोदय, एम्पलाइमेंट गारंटी कानून देश की करीब 85 हजार पंचायतो में ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : वह सबको मालूम है । आप वह जवाब दो, जो मालूम नहीं है ।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : जी, अच्छी शुरूआत हुई है और राज्यों में जो मिनिमम वेज लागू है, हमने उसी को लागू रहने दिया है और हमने कोई हस्तक्षेप नहीं किया है । कानून में भी प्रावधान है कि राज्य में जो मिनिमम वेज एक्ट, 1948सैक्शन 3 के अनुसार लागू है, वहीं लागू रहेगा और जरूरत पड़ने पर ही सैन्टर हस्तक्षेप करेगा । अभी हमारी इसमे हस्तक्षेप करने की कोई परिस्थिति नहीं आई है । कुछ राज्यों में जो इंटरप्रिटेशन में त्रुटि थी, हमने उसमें भी सुधार कर लिया है, इसलिए बढ़िया ढंग से यह लागू है । ...(**व्यवधान**)...

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, funds are being misused. ...*(Interrupations)*...

श्री सभापति : श्रीमती वृंदा कारत । **...(व्यवधान)...** Please take your seat. ...*(Interruptions)*... कोई रिप्लाई देने की जरूरत नही हैं ।

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, they are misusing funds. ...*(Interruptions)*...*States* are misusing the funds ...*(Interruptions)*... They are misusing funds. ...*(Interruptions)*...

श्री सभापति : वही ठीक है, हम मिसयूज़ देख लेंगे । **...(व्यवधान)...** No. no. ...*(Interruptions)*... वही ठीक है, आप इनसे बात कर लीजिए । **...(व्यवधान)...**

SHRI M. JOTHI: There are a lot of advertisements. ...*(Interruptions)*...

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, funds are being misused. ...*(Interruptions)*... They are misusing funds. ...*(Interruptions)*... There are advertisements.... *(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Shrimati Brinda Karat. ...*(Interruptions)*..,*You* have already put your question ...*(Interruptions)*... Please take your seat. ...*(Interruptions)*... Please take your seat. ...*(Interruptions)*... Let her speak. ...*(Interruptions)*... lam not responsible for all that ...*(Intenvptions)*...आप बैठिए, बैठिए **...(व्यवधान)...**

श्री रूद्रनारायण पाणि : सभापति जी, राज्य सरकार धन का misuse नहीं कर रही है **...(व्यवधान)...**

श्री सभापति **:** आप बैठिए बैठिए **...(व्यवधान)...**

श्रीमती वृंदा कारत **...(व्यवधान)...** आप बैठ जाइए, मैं कह रहा हूं आप बैठ जाइए, कोई जवाब आपको नहीं मिलेगा **...(व्यवधान)...** Please take your seat…(Interruptions)… चलिए, अब आप उनकी तरफ मत देखिए, नहीं तो वैसी ही हो जाओगी ।

श्री मती वृंदा कारत :बोलिए जी , मैं **...(व्यवधान)...**

श्री सभापति : बोलिए,बोलिए ,आप जल्दी बोलिए **...(व्यवधान)...**

श्री मती वृंदा कारत : सभापति जी, मैं आपके द्वारा **...(व्यवधान)...**

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, the hon. Minister has not replied to my question ...*(Interruptions)*...

श्री सभापति : ठीक है, कमरे में वहां दिलवा दूंगा **...(व्यवधान)...** I will call him. ...*(Interruptions)*... Please take your seat ...*(Interruptions)*... Mr. Narayanasamy, Please behave in proper manner. ...*(Interruptions)*...

Mr. Narayanasamy, Please behave in proper manner. ...*{Interruptions)*... Please take your seat. ..*(Interruptions)*... Mr. Narayanasamy, please take your seat. ...*{Interruptions)*... Please take your seat. ...*{Interruptions)*... चलिए, वृंदा जी, आप बोलिए।

श्री रूद्रनारायण पाणि : उपसभापति जी, मैं ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : बैठ जाइए, रिकॉर्ड पर कुछ नहीं जा रहा है ...(**व्यवधान**)...

श्री मती वृदां कारत : सभापति जी, मैं आपके द्वारा मंत्री जी को बधाई और मुबारकबाद देना चाहती हूं क्योंकि जब से यह कानून लागू हुआ है, इसके implementation के लिए उन्होनें बहुत पहल की है। अभी मुझे बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का दौरा करने का मौका मिला, वहां एक बड़ी प्राब्लम है। हम लोग महाराष्ट्र के नंदूरबा क्षेत्र में गए और उसके साथ-साथ गुजरात का भी बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिसमें आदिवासी गाव भी शमिल है, आज वह क्षेत्र बाढ़ से पीड़ित है और बुरे तरीके से वहां के आदिवासी लोग बाढ़ से पीड़ित है। अभी जो REGA की परिकल्पना है, उसे परिकल्पना का मुख्य काम earth work हैं, लेकिन मानसून और बाढ़ के समय यह काम नही हो सकता है। जब हम लोग वहां गए और हमने आदिवासी भाइयों से बातचीत की,तो उन्होनें कहा कि इस पूरे बाढ़ पीड़ित क्षेत्र मे जहां काम बिल्कुल नहीं है, जहां रोजगार का कतई कोई प्रावधान नहीं है, इस समय वहां REGA को लागू करने की सख्त जरूरत है,लेकिन जो REGA है, वह लागू नहीं हो सकता है।

श्री सभापति : बोलिए, मंत्री जी , आप क्या कहते है ?

श्री मती वृंदा कारत : सर, यह बहुत सीरियस बात है।

श्री सभापति : आप question करिए ...(**व्यवधान**)...

श्री मती वुंदा कारत : सर, question यही है कि आज पूरे बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में REGA लागू नहीं है ...(**व्यवधान**)... जब कि वहां REGA की सबसे अधिक जरूरत गुजरात, महाराष्ट्र और ऐसे तमाम प्रदेशों में हैं ...(**व्यवधान**)... इसलिए आज rulal development के मंत्रालय की तरफ से immediately पहल करने की जरूरत है, इस पूरे क्षेत्र में REGA को विभिन्न schemes में प्रदेश सरकारों के साथ लगकर लागू करने की जरूरत है ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : ठीक है, आपका question हो गया।

श्री मती वृंदा कारत : कुछ नई schemes बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए लागू करने की जरूरत है, ताकि जो भूख की स्थिति है, उससे निपटने में REGA काम आए। इसके बारे में आप क्या कदम उठा सकते हैं ?

श्री सभापति : आप जवाब दीजिए।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति जी, आठ तरह के काम किए जा सकते हैं, यह कानून में लिखा हुआ है और नवें में यह भी कहा गया है कि – -any other work which may be notified by the Central Government in consultation with a State Government. " जैसे water conservation, water harvesting, drought proofing, including afforestation, tree plantation, और irrigation facility, यह सब है ही, land development, flood control and protection of works including drainage in water-logged areas and rural connectivity. इन सभी के अलावा कहा गया है कि यदि राज्य सरकार कोई जरूरत महसूस करें तो उनके सुझाव पर हम नया काम भी उसमें जोड़ सकते हैं । इसलिए बाढ़ पीड़ित इलाके में यदि कोई काम संभव हो और राज्य सरकार हमसे कहे, तो उस पर भी हम विचार कर सकते हैं ।

श्री मती वृंदा कारत : सर,वहां बहुत बुरा हाल है ।

श्री सभापति : हो गया, अब शरद यादव जी को बोलने दीजिए ।

श्री शरद यादव : सभापति जी, मंत्री जी अच्छी तरह जानते हैं, बाकी काम के ऊपर लोगों ने सवाल पूछा है, उसके ऊपर मुझे कुछ नहीं कहना है, देश में जो कबाल टाऊन है मतलब जो बड़े शहर है, बड़े पैमाने पर गांव उनके पेट में,उनके भीतर जा रहे हैं । देश के बड़े शहरों में बड़े-बडे तालाब थे, वे सब encroach हो रहे हैं और सब तरह से उनके ऊपर कब्जा किया जा रहा है । इस देश में एक नया कार्यक्रम और चला हुआ है, वह है सेज का, economic zone का । इसके नाम पर देश के पूरे ग्रामीण इलाकों में सीमेंट से जमीन का मुहं भरा जा रहा है । सभापति जी, जैसे दिल्ली में जो रिज का इलाका है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने stay दे दिया है और अजीब बात यह है कि जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, वह बिल्डर्स को बडे पैमाने, वह दिल्ली का सबसे बड़ा reservoir है । रघुवंश बाबू को पानी की चिन्ता है, तो सेज के नाम पर और दूसरे और तरह के नाम पर शहरों के पेट में जो गांव जा रहे हैं ? वह भी पानी की कमी का एक बहुत बड़ा कारण है । क्या इसके ऊपर आप कोई पहल करेंगें ?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, गांवो में जितने Rural Water Bodies हैं, हमने राज्य सरकारों को कहा है कि जहां कहीं यह encroach हो गया भर गया या siltation हो गया उन Rural Water Bodiesको renovate किया जाए, उन्हें पुनजीर्वित किया जाए । माननीय श्री शरद यादव जी ने जो चिंता जताई हैं, हम देखेंगे कि इसके ऊपर क्या किया जा सकता है।

श्री कांजीभाई पटेल : माननीय सभापति महोदय, जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि इस योजना से अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को ज्यादा-से-ज्यादा लाभ देने का उद्देश्य है । गुजरात में ऐसे भी जिले हैं, जहां पर आज भी आदिवासियों को बाहुल्य है, जैसे नवसारी ,वलसाड, सूरत आदि है । यदि योजना इन जिलों में लागू नहीं है।यहां यह कब तक लागू होगी, क्या मंत्री जी बताएंगे ?

श्री रघुवंश प्रसाद सिहं : महोदय, 5 वर्षो कें अंदर इसे देश के सभी जिलों में लागू होना है । अभी यह 200 जिलों में लागू हो चुकी है । माननीय सदस्य जो बता रहे हैं, मैं समझता हूं कि सेकेंड फेज में वे सब इसमें आ जाने चाहिए ।

सुश्री सुशीला तिरिया : सभापति महोदय, साब्र कांठा, डांग्स आदि मे जो भूमि है, वे सब ट्राइबल डिस्ट्रिक्टस है । इसमे गुजरात की रिपोर्ट में इस संबध मे जीरों आंकडा दिया गया है । इसी में आखिर में यह भी दिया गया है कि भारतीय स्तर पर यह दूसरे राज्यों में भी लागू किया जा सकता है । मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगी कि क्या उड़ीसा में इंदिरा आवास योजना के तहत ST/SC beneficiaries के लिए यह स्कीम लागू कर गई है ? यदि लागू की गई हैं, तो क्या आपके पास इस संबध में कोई satisfactory आंकड़ा हैं ?

श्री रघुवंश प्रसाद सिहं : महोदय, उडीसा में 20 जिलों में यह लागू है । वहां भी आदिवासियों को इस कानून के तहत जो लाभ मिलना चाहिए, वह मिल रहा है ।

श्री दत्ता मेघे : सर, महाराष्ट्र केअंदर यह कानून पहले से था और इसके पहले लिए महाराष्ट्र की जनता को गर्व था । क्या इस स्कीम का फायदा लेते हुए उस पैसे को मिला कर महाराष्ट्र के सभी जिलों में आप जल्द-से-जल्द सेंट्रल गवर्नमेंट की इस स्कीम लागू करने वाले है ? उनके पास पैसा हैं, हम पहले खर्च करते थे, अब आपका पैसा आने से उस पैसे की बचत हो रही है । आप महाराष्ट्र सरकार को उस पैसे और इस पैसे को रोजगार कानून पर खर्च करने के लिए बताइए ।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, राज्य सरकार इसमें स्वतंत्र है कि उसके पास यदि पैसा है, तो वह इसी कानून को अन्य जिलों में भी आगे अपने स्तर से लागू करा सकती है । देश के स्तर पर 200 जिलों का चयन किया है और आगे जब सेंकंड फेज़ आएगा , तो हम अन्य जिलों पर भी विचार करेंगे ।

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, we actually wanted to have a full-fledged discussion on this subject. But, due to paucity of time...

MR. CHAIRMAN: Please, put your question.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, on the one hand, we are talking about misuse of funds, while on the other, there is also non-utilisation of funds. In my own State, where 42 lakh people have applied for job cards, only seven lakh people have been provided with employment. Is it due to lack of community participation and ownership, or, is it due to lack of proper planning, or is it due to false muster rolls provided by the officials?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, कही भी देश के किसी जिलें में पैसे की कमी महसूस नहीं की गई है । जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, देश भर में applications registered are 3,28,41,664, Job Cards issued-2,45,64,480 and employment demanded-82,66,447महोदय, इसका मतलब यह है कि कुछ लोग जानकारी के अभाव में, जो ग्रेजुएट है, जैसा कि नारायणसामी जी agitate कर रहे थे, जो physical labour नहीं कर सकते थे, उन्होनें भी अपना नाम लिखा दिया । इस कारण इसमें संख्या ज्यादा हो गई है। लेकिन जो असल में employment demanded है, उसके लिए पर्याप्त राशि हरेक जिले में है । राशि की कमी के चलते कोई भी ऐसा जिला नहीं है, जो यह महसूस करे कि पैसे के चलते काम नहीं दिया जा रहा है । महोदय, इसलिए हमारी इस पर नजर है । यह ठीक है कि कई ग्रेजुएट, एमए पास लोगों ने बेकारी भत्ता लेने के लिए इसमें अपना नाम लिखा लिया, लेकिन जब इन्होनें यह जाना कि इसमें physical labour करनी पड़ेगी, तब उन्होनें employment demand नहीं किया । इसीलिए हम इस फिगर को देख रहे हैं और इसका विश्लेषण कर रहे हैं कि इसमें क्या गड़बड़ी है ।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS
Employment in Private Sector Industries under NREGA

†*383. SHRI DHARAM PAL SABHARWAL: Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that private sector industries have assured to provide employment under National Rural Employment Guarantee Act;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI RAGHUVANSH PRASAD SINGH): (a) to (c) National Rural Employment Guarantee Act is a Central legislation under which State Governments are required to formulate schemes and identify works for providing employment to the job card holder wage seekers. The funds are shared by the Central Government and the State Governments as per the provisions of the Act. Private sector industries are not involved in the process of providing employment under the Act.

†Original notice of the question was received in Hindi.